न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	80/2021
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	23.03.2021
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	10.11.2021

अनवान

1	गोपाल पुत्र रामचन्द्र तेली नि.कोरनास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थीगण	प्रार्थी स्वंय उपस्थित
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	तहसीलदार आसीन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम शामलाती खातों में दर्ज रेकार्ड है

ग्राम कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द संवत 2073-76

खाता संख्या	कुल किता	कुल रकबा
185	8	1.27
186	1	0.43
204	2	0.08

(2) प्रार्थी का उक्त भूमि में नाराय[illegible] तेली लिख [illegible] है जो गलत है इस कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। [illegible] य सार्वजनिक दस्तावेज में प्रार्थी का नाम गोपाल पि.रामचन्द्र तेली ही है। इसलिये उक्त [illegible] प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र रामचन्द्र तेली के बजाय गोपाल पुत्र रामचन्द्र तेली किया जाना उचित है। प्रार्थी को गोपाल व नारायण दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:05 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(3) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर गोपाल पुत्र रामचन्द्र किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(4) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित है।

(5) प्रकरण "प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प करजालिया " में प्रस्तुत करने हेतु चिन्हित होने से पत्रावली केम्प करजालिया में प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी स्वंय उपस्थित है। भू.अभिलेख निरीक्षक ब्राह्मणों की सरेरी से मौका रिपोर्ट ली गयी जो शामिल पत्रावली है ।

(6) पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उनके राशन कार्ड की प्रति /आधार कार्ड / फोटो पहचान पत्र / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र / रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक ब्राह्मणों की सरेरी का अवलोकन किया गया। जिनके अनुसार प्रार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि में नारायण पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर गोपाल पुत्र रामचन्द्र किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है –

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में खातेदार श्री नारायण पुत्र रामचन्द्र के बजाय गोपाल पुत्र रामचन्द्र तेली संशोधित किये जाने के आदेश किये जाते है –

ग्राम कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द संवत 2073-76

खाता संख्या	कुल किता	कुल रकबा
185	8	1.27
186	1	0.43
204	2	0.08

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को "प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प करजालिया " में मजमे - आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:05 IST
Reason: Self Attested

क्रमांक / रीडर / 2021 / 103 दिनांक 11.11.2021

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पा[illegible] रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा